

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर:-0141-2740837 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

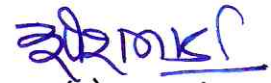
क्रमांक : एफ.4(ई)ए-1738/2013/अलेसे-III/63

दिनांक : 18.4.2022

कार्यालय आदेश

सुश्री/श्रीमति आयुषी खण्डेलवाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर को उनके आवेदन पत्र, अग्रेषण क्रमांक 68 दिनांक 13.04.2022 के अनुसार दिनांक 26.04.2022 से 06.05.2022 तक भ्रमण हेतु सिंगापुर जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगी।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फ़ैक्स न.आदि सूचित करेंगी।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेंगी।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेंगी।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगी।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा /के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेंगी।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)ए-1738/2013/अलेसे-III/63

दिनांक : 18.4.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर को उनके पत्रांक 68 दिनांक 13.04.2022 के क्रम में।
2. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
3. सुश्री/श्रीमति आयुषी खण्डेलवाल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)